भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 5362

गुरुवार, 25 जुलाई, 2019/3 श्रावण, 1941 (शक)

सड़क पर पैदल चलने वालों की मौतों को रोकने के लिए कदम

5362. श्री भर्तृहरि महताबः

श्री राहुल रमेश शेवलेः

श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेवः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सड़क पर आवागमन करने वाले वर्ग के अंतर्गत पैदल चलने वालों की मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा/संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों में कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी परिणाम क्या रहे;

(घ) उक्त अवधि के दौरान मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में सड़कों पर पैदल आवागमन करने वाले मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) एवं (ख): मंत्रालय द्वारा राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले चार कैलेंडर वर्षों अर्थात 2014 से 2017 के दौरान सड़क प्रयोक्ता श्रेणी के अंतर्गत मारे गए पैदल यात्रियों की कुल संख्या निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है: -

वर्ष	देश में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या	देश में सड़क प्रयोक्ता श्रेणी के तहत मारे गए पैदल यात्री
2015	1,46,133	13,894
2016	1,50,785	15,746
2017	1,47,913	20457

पिछले तीन कैलेंडर वर्षों अर्थात 2015 से 2017 के दौरान सड़क प्रयोक्ता श्रेणी के अंतर्गत मारे गए पैदल यात्रियों और सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): चूंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है इसलिए मंत्रालय में इस प्रकार की कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ): सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिजनों के लिए मुआवजे से संबंधित प्रावधान देश भर में एक समान हैं तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 में उल्लिखित है।

मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय X और XI चोट या मौत के मामले में तीसरे पक्ष का बीमा और मुआवजे का भुगतान किए जाने से संबंधित हैं। मोटर यान अधिनियम, 1988 में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजे से संबंधित किए गए प्रावधान देश भर में एक समान हैं। मंत्रालय ने मुआवजा राशि की समीक्षा की है और अधिसूचना का.आ. सं. 2022 (अ), दिनांकित 22 मई, 2018 के तहत धारा 163क के अतंर्गत मुआवजे की राशि के संबंध में मोटर यान अधिनियम, 1988 अनुसूची-।। को प्रतिस्थापित किया है। संशोधित अनुसूची-।। के अनुसार निम्नलिखित के लिए मुआवजा इस प्रकार है -

(i) घातक दुर्घटनाएं:
मृत्यु के मामले में देय मुआवजा पांच लाख रुपये होंगा।

(ii) दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप स्थायी अशक्तता:
देय मुआवजा होगा = [5,00,000 / - X कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 (1923 का 8) की अनुसूची-। के अनुसार प्रतिशत अशक्तता।
बशर्ते कि किसी भी प्रकार की स्थायी अशक्तता के मामले में न्यूनतम मुआवजा पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा।

(iii) दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मामूली चोट:
पच्चीस हजार रुपये के निश्चित मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

(ड.): पीयूपी, सीयूपी, फुटपाथ, फुटओवर ब्रिज एवं पैदल यात्रियों के लिए अन्य सुविधाओं और ग्रेड सेप्रेटेड अन्य संरचनाओं आदि के प्रावधान, स्थल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एवं आईआरसी:एसपी:73-2018 ''पेव्ड शोल्डर सहित राजमार्गों को दो-लेन का बनाने के लिए विनिर्देशों और मानक के लिए मैनुअल'', आईआरसी:एसपी:84-2014 ''सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से राजमार्गों को चार-लेन का बनाने के लिए विनिर्देशों और मानकों के लिए मैनुअल'', आईआरसी:एसपी:87-2013 ''सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से राजमार्गों को छः-लेन का बनाने के लिए विनिर्देशों और मानकों के लिए मैनुअल'' में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विकास परियोजनाओं के डिजाइन के अभिन्न हिस्से हैं। इसके अलावा, आईआरसी ने ''पैदल यात्रियों की सुविधाओं के लिए दिशानिर्देशों'' हेतु आईआरसी:103-2012 को भी प्रकाशित किया है। मंत्रालय द्वारा की गई अन्य मुख्य पहलें निम्नानुसार हैं:-

i जागरुकता पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर समर्थन/प्रचार अभियान।

ii सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में जिले के माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित की है।

iii गुड स्मारिटन की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करना।

iv राज्यों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।

v स्वचालित प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए 22 परीक्षण और प्रमाणीकरण केंद्र की संस्वीकृति।

vi सरकार ने राजमार्ग प्रयोक्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसका नाम "सुखद यात्रा 1033" है। इससे राजमार्ग प्रयोक्ता दुर्घटनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के गड्ढों और अन्य सुरक्षा खतरों की शिकायत कर सकते हैं।

vii राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क प्रयोक्ताओं के बीच सुरक्षित व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है।

viii सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन के एक अभिन्न भाग के रूप में बनाया गया है।

ix राष्ट्रीय राजमार्ग की चार लेनिंग के लिए शुरुआत को 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है।

x वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों में सुधार किए गए हैं।

xi राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉटों (दुर्घटना संभावित स्थलों) के अभिनिर्धारण और दोष निवारण को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

xii मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अभिनिर्धारित सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉटों के दोष निवारण के लिए विस्तृत प्राक्कलनों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को तकनीकी अनुमोदन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।

xiii दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश भी सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं।

xiv भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) ने सड़क सुरक्षा संपरीक्षकों के लिए एक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है और 42 संपरीक्षकों के पहले बैच को प्रमाणित किया है।

xv राजमार्ग पर चलने वाले ट्रक / बस चालकों के लिए नि: शुल्क नेत्र जांच शिविर और चश्मों का वितरण किया जाता है।

xvi माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार फाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/309/2016 / एस एंड आर दिनांकित 06-04-2017 और 01-06-2017 के परिपत्र के माध्यम से शराब की दुकानें हटाना।

अनुलग्नक-I

'सड़क पर पैदल चलने वालों की मौतों को रोकने के लिए कदम' के संबंध में श्री भर्तृहरि महताब, श्री राहुल रमेश शेवले और श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव द्वारा दिनांक 25.07.2019 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 5362 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कैलेंडर वर्षों 2015 से 2017 के दौरान पैदल यात्री की श्रेणी के अंतर्गत मारे गए कुल व्यक्ति

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2015	2016	2017
1	आंध्र प्रदेश	691	1251	1379
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	3
3	असम	36	24	538
4	बिहार	184	200	769
5	छत्तीसगढ़	42	49	467
6	गोवा	64	59	47
7	गुजरात	719	697	985
8	हरियाणा	228	1596	1071
9	हिमाचल प्रदेश	0	214	171
10	जम्मू और कश्मीर	28	58	62
11	झारखंड	34	10	262
12	कर्नाटक	1207	599	1054
13	केरल	1300	1246	1332
14	मध्य प्रदेश	1962	1627	
15	महाराष्ट्र	1162	2103	1831
16	मणिपुर	0	4	15
17	मेघालय	5	32	46
18	मिजोरम	10	4	18
19	नगालैंड	5	1	5
20	ओडिशा	318	251	533
21	पंजाब	423	433	265
22	राजस्थान	867	898	863
23	सिक्किम	3	3	10
24	तमिलनाडु	2618	2966	3507
25	तेलंगाना	598	619	972
26	त्रिपुरा	29	42	57
27	उत्तराखंड	106	18	127
28	उत्तर प्रदेश	325	284	1192
29	पश्चिम बंगाल	109	72	1039
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12	5	9
31	चंडीगढ़	47	38	32
32	दादर और नागर हवेली	17	9	2
33	दमन और दीव	1 1	7	9
34	दिल्ली	684	250	423
35	लक्षद्वीप	0	1	0
36	पुदुच्चेरी	50	76	82
कुल		**13,894**	**15,746**	**20,457**

*****